उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 — अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 2904–पें0एण्डआर0–28 / पाकालि / 11–46पी / 89,   दिनांक : 19 अक्टूबर, 2011

1. समस्त प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल / केस्को /
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ / कानपुर / ।

2. प्रबन्ध निदेशक
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

3. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन,
छठा तल, शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

4. समस्त मुख्य अभियन्ता,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
लखनऊ।

5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

6. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
महानगर लखनऊ।

विषय : किसी माह की पहली तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में पूर्ववर्ती माह के अन्तिम कार्य दिवस को पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 शासन ने अपने आदेश संख्या स–3–493 / दस–2011 दिनांक 25.07.2011 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा किसी माह की पहली तारीख को सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में पूर्ववर्ती माह के अन्तिम कार्य दिवस को पेंशन का भुगतान किये जाने के आदेश निर्गत किये है। इन आदेशों में यह भी उल्लेखित है कि प्रश्नगत व्यवस्था मार्च माह की पेंशन के भुगतान के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

2. उपरोक्त शासनादेश द्वारा निर्गत व्यवस्था को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन एवं वितरण कम्पनियों एवं ट्रान्सकों के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों पर भी लागू किये जाने हेतु प्रश्नगत शासनादेश को एतद्द्वारा अंगीकृत किया जाता है।

भवदीय,

संलग्नकः–यथोक्त।

(एच0सी0 लाल)
अनुसचिव (पें0एवंआर0)

संख्या : 2904 (।)पें0एवंआर0–28 / पाकालि0 / 11 तददिनांकः–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष एंव प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
2. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अपर सचिव I/II उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशा0) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. सचिव, उ0प्र0 पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. मण्डल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक, 1–2 रघुनाथ नगर आगरा / 156 सिविल लाइन बरेली / लाला बाबू चौराहा राजे बाबू रोड, बुलन्दशहर / अल्हादपुर–गोरखपुर / कानपुर रोड–झाँसी / बिरहाना रोड–कानपुर / 10 अशोक मार्ग लखनऊ / प्रभात नगर साकेत मेरठ / पी0एन0बी0 हाउस, राम गंगा बिहार फेस–II, मुरादाबाद / 68 कम्बलवाला बाग, मुजफ्फरनगर / एस 20 / 56 डी द माल कैनोडी रोड़ वाराणसी।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब) कक्ष सं0–407 शक्ति भवन लखनऊ, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाइल।

माई कम्प्यूटर / डी / बैकअप / माई डाक्यूमैण्ट / पेंशन / lalsir

आज्ञा से,

(एच0सी0 लाल)
अनुसचिव (पें0एवंआर0)

संख्या–सा–3–493 / दस–2011

प्रेषक,

वृन्दा सरूप,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,कोषागार,
उ0प्र0,लखनऊ।
(2) निदेशक,
पेंशन निदेशालय,उ0प्र0,
लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक 25 जुलाई, 2011

विषय:– किसी माह की पहली तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में पूर्ववर्ती माह के अंतिम कार्य दिवस को पेंशन के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

पेंशनर संगठनों एवं पेंशनरों द्वारा यह मॉग की जाती रही है कि किसी माह की पहली तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान पूर्ववर्ती माह के अंतिम कार्य दिवस को किये जाने संबंधी व्यवस्था के अनुसार किसी माह की पहली तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में पूर्ववर्ती माह के अंतिम कार्य दिवस को पेंशन का भुगतान किये जाने की व्यवस्था लागू की जाय।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि किसी माह की पहली तारीख को सार्वजनिक अवकाश होने की दशा में पूर्ववर्ती माह के अन्तिम कार्य दिवस को पेंशन का भुगतान किया जाय। यह व्यवस्था माह मार्च की पेंशन के भुगतान के संबंध में लागू नहीं होगी।

यह आदेश उत्तर प्रदेश राज्य के कोषागारों से सेवा पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे सभी सेवा पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों, सैन्य पेंशनरो / पारिवारिक पेंशनरों अन्य राज्यों के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों आदि पर भी सामान्य रूप से लागू होंगे।

भवदीय,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव,वित्त।

संख्या–सा–3–493(1) / दस–2011तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

(1) महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी),प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद
(2) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,उ0प्र0शासन।
(3) समस्त वरिष्ठ / मुख्य कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
(4) महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
(5) प्रमुख सचिव,वित्त, उत्तराखण्ड,देहरादून।
(6) निदेशक,पेंशन,उत्तराखण्ड,देहरादून।
(7) निदेशक,कोषागार,उत्तराखण्ड,देहरादून।

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव